**भारत सरकार**
**जल शक्ति मंत्रालय**
**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1840**
**दिनांक 28.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**पाइप द्वारा जलापूर्ति**

**1840. श्रीमती वीणा देवीः**
**श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन परिवारों की संख्या का पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा पाईप द्वारा पेयजल की आपूर्ति की गई है और इसके अन्तर्गत शामिल किए गए लोगों और परिवारों का प्रतिशत कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आबंटित/जारी और खर्च की गई है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(ग) प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को पाईप द्वारा पेयजल की आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

**उत्तर**
**राज्य मंत्री, जल शक्ति**
**(श्री रतन लाल कटारिया)**

(क) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 21.11.2019 तक लगभग 18.41% [3.29 करोड़] ग्रामीण बसावटों में नल जल आपूर्ति (पी॰डब्ल्यूएस) के साथ नल कनेक्शन हैं। उसका राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन वाले लोगों के ब्यौरे का रखरखाव इस विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

(ख) तत्कालीन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान और जेजेएम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष के दौरान आबंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) जेजेएम का उद्देश्य वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की मार्फत देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के सेवा स्तर पर पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है।

दिनांक 28.11.2019 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1840 के उत्तर में उल्लिखित

अनुलग्नक-I

दिनांक 21.11.2019 की स्थिति के अनुसार पीडब्ल्यूएस नल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों का राज्यवार ब्यौरा

| क्र. सं. | राज्य | पीडब्ल्यूएस नल कनेक्शन वाले कुल ग्रामीण परिवार | पीडब्ल्यूएस नल कनेक्शन वाले कुल परिवारों का % |
|---|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 6,604 | 10.15 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 30,49,743 | 33.56 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 19,998 | 9.06 |
| 4 | असम | 1,27,964 | 2.21 |
| 5 | बिहार | 3,36,276 | 1.88 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 3,93,222 | 9.11 |
| 7 | गोवा | 1,42,914 | 88.51 |
| 8 | गुजरात | 50,82,540 | 78.46 |
| 9 | हरियाणा | 17,58,292 | 53.47 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 7,59,047 | 56.27 |
| 11 | जम्मू एवं कश्मीर (लद्दाख सहित) | 4,91,152 | 30.01 |
| 12 | झारखंड | 2,89,581 | 5.76 |
| 13 | कर्नाटक | 35,36,334 | 43.81 |
| 14 | केरल | 15,36,707 | 16.75 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 13,26,792 | 12.18 |
| 16 | महाराष्ट्र | 50,74,892 | 38.44 |
| 17 | मणिपुर | 24,512 | 5.58 |
| 18 | मेघालय | 4,359 | 0.95 |
| 19 | मिजोरम | 16,359 | 15.74 |
| 20 | नागालैंड | 15,559 | 4.89 |
| 21 | ओडिशा | 3,20,426 | 3.94 |
| 22 | पुडुचेरी | 41,418 | 50.35 |
| 23 | पंजाब | 17,57,713 | 53.24 |
| 24 | राजस्थान | 11,49,036 | 12.38 |
| 25 | सिक्किम | 87,431 | 99.34 |
| 26 | तमिलनाडु | 29,33,243 | 29.74 |
| 27 | तेलंगाना | 18,13,791 | 33.53 |
| 28 | त्रिपुरा | 28,386 | 3.3 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 3,45,452 | 1.33 |
| 30 | उत्तराखंड | 2,16,182 | 14.32 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 2,14,721 | 1.31 |
|  | **कुल** | 3,29,00,646 | 18.41 |

स्रोत: आईएमआईएस, डीडीडब्ल्यूएस

**दिनांक 28.11.2019 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1840 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II**

**गत तीन वर्षों के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत और वर्तमान वर्ष के दौरान जेजेएम के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन, रिलीज एवं व्यय**

(करोड़ रुपए में)

| क्र. सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 2016-17 | | | 2017-18 | | | 2018-19 | | | 2019-20 (21.11.2019 तक) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | रिलीज | व्यय | आबंटन | रिलीज | व्यय | आबंटन | रिलीज | व्यय | आबंटन | रिलीज | व्यय |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.45 | 0.22 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.62 | 0.31 | 0 | 1.45 | 0.5 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 181.02 | 204 | 157.38 | 159.51 | 233.09 | 267.03 | 197.56 | 185.85 | 186.28 | 303.47 | 151.73 | 41.44 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 100.89 | 92.84 | 95.71 | 77.51 | 63.08 | 62.93 | 96.95 | 90.89 | 97.21 | 110.47 | 55.23 | 0 |
| 4 | असम | 401.43 | 348.06 | 203.09 | 524.1 | 474.8 | 387.2 | 567.89 | 300.76 | 336.25 | 578.65 | 339.33 | 102.34 |
| 5 | बिहार | 311.7 | 373.81 | 470.96 | 394.53 | 355.6 | 216.1 | 476.63 | 234.84 | 148.48 | 638.9 | 25.33 | 67.69 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 70.65 | 84.28 | 65.66 | 64.33 | 49.84 | 49.89 | 95.47 | 48.19 | 43.41 | 169.42 | 65.82 | 13.15 |
| 7 | गोवा | 2.44 | 1.19 | 3.35 | 2.32 | 0 | 1.83 | 3.34 | 1.67 | 3.07 | 6.16 | 0 | 0 |
| 8 | गुजरात | 281.14 | 278.5 | 265.16 | 231.62 | 290.86 | 315.14 | 237.09 | 222.27 | 223.42 | 317.85 | 158.93 | 0 |
| 9 | हरियाणा | 114.53 | 111.53 | 114.2 | 118.95 | 88.82 | 87.34 | 81.88 | 76.76 | 94.48 | 122.12 | 61.06 | 1.23 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 69.65 | 83.31 | 64.73 | 66.02 | 101.85 | 129.42 | 91.12 | 85.43 | 85.43 | 121.07 | 60.54 | 0 |
| 11 | जम्मू एवं कश्मीर (लद्दाख सहित) | 232.88 | 225.14 | 219.94 | 222.26 | 325.33 | 344.86 | 309.07 | 249.34 | 251.88 | 397.96 | 188.67 | 0 |
| 12 | झारखंड | 115.86 | 131.74 | 157.89 | 172.68 | 209.09 | 171.47 | 207.97 | 85.12 | 136.73 | 218 | 104.76 | 11.27 |
| 13 | कर्नाटक | 360.07 | 343.72 | 339.83 | 290.86 | 365.81 | 272.77 | 331.04 | 276.06 | 433.95 | 444.69 | 222.34 | 0 |
| 14 | केरल | 62.54 | 75.22 | 74.21 | 56.88 | 95.16 | 95.53 | 90.37 | 84.86 | 84.62 | 202.58 | 101.29 | 0 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 213.87 | 232.26 | 212.48 | 195.67 | 135.51 | 163.35 | 274.09 | 243.62 | 250.43 | 465.49 | 232.74 | 30.89 |
| 16 | महाराष्ट्र | 413.57 | 404.45 | 412.32 | 338.13 | 282.47 | 187.84 | 474.16 | 239.06 | 258.4 | 690.55 | 0 | 110.65 |
| 17 | मणिपुर | 41.83 | 39.38 | 18.87 | 32.2 | 66.25 | 68.3 | 40.25 | 37.73 | 65.11 | 56.41 | 28.2 | 0 |
| 18 | मेघालय | 42.02 | 40.42 | 50 | 41.86 | 85.91 | 87.43 | 52.43 | 49.15 | 48.71 | 71.69 | 35.84 | 0 |
| 19 | मिजोरम | 25.33 | 24.49 | 24.82 | 22.4 | 46.1 | 25.93 | 28 | 26.25 | 46.46 | 33.22 | 16.61 | 0 |
| 20 | नागालैंड | 37.93 | 36.84 | 36.2 | 27.66 | 17.88 | 18.77 | 34.72 | 17.36 | 17.36 | 47.07 | 23.54 | 0 |
| 21 | ओडिशा | 114.99 | 134.96 | 100.14 | 102.69 | 83.59 | 93.48 | 154.99 | 128.82 | 172.45 | 297.03 | 148.51 | 38.59 |
| 22 | पुडुचेरी | 0.86 | 0.29 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 1.29 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 |
| 23 | पंजाब | 46.02 | 51.89 | 53.56 | 115.25 | 173.29 | 103.64 | 125.97 | 119.41 | 112.78 | 185.24 | 92.62 | 11.49 |
| 24 | राजस्थान | 1,114.55 | 1,072.92 | 681.21 | 891.95 | 714.24 | 728.81 | 692.13 | 655.41 | 878.48 | 856.47 | 428.24 | 93.34 |
| 25 | सिक्किम | 14.77 | 19.42 | 15.21 | 9.3 | 17.51 | 11.6 | 11.62 | 10.89 | 21.06 | 12.85 | 6.42 | 4.1 |
| 26 | तमिलनाडु | 155.29 | 174.68 | 175.08 | 121.61 | 185.1 | 191.4 | 180.99 | 167.31 | 168.92 | 302.89 | 151.45 | 0 |
| 27 | तेलंगाना | 117.03 | 133.09 | 111.89 | 775.01 | 843.56 | 592.47 | 131.4 | 123.18 | 420.9 | 211.04 | 105.52 | 2.05 |
| 28 | त्रिपुरा | 39.48 | 43.73 | 38.73 | 32.26 | 83.93 | 42.77 | 55.18 | 51.73 | 53.88 | 89.71 | 1.09 | 15.6 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 602.41 | 621.95 | 639.54 | 539.09 | 472.52 | 616.77 | 713.95 | 670.72 | 755.08 | 947.14 | 623.57 | 146.1 |
| 30 | उत्तराखंड | 90.88 | 71.86 | 99.69 | 68.42 | 110.28 | 138.2 | 99.17 | 92.97 | 91.85 | 138.87 | 69.43 | 0 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 437.17 | 418.97 | 423.68 | 810.48 | 996.68 | 599.45 | 917.82 | 890.28 | 547.47 | 809.37 | 404.69 | 106.04 |

आबंटन- केंद्रीय आबंटन, रिलीज- केंद्रीय रिलीज, व्यय- केंद्रीय व्यय

स्रोतः आईएमआईएस, डीडीडब्ल्यूएस